राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांकः प. 24(02)ग्रावि/केभ/स्टोर/1996 जयपुर, दिनाँक :– 04 JUL 2019

निविदा सूचना

ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय के विभिन्न अनुभागो में उपयोग किये जा रहे टोनर कार्टेज रिफलिग की दर संविदा किये जाने हेतु मोहरबन्द लिफाफे में निविदाऐं दिनांक 12.07.2019 को अपरान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:–

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय के उपयोग हेतु टोनर कार्टेज रिफलिग की दर संविदा किये जाने हेतु।	2,00,000	4,000	200.00

नोटः–

1. निविदा से सम्बन्धित नियम, शर्ते व निविदा प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर के यहॉ राशि रूपये 200/–जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है या विभागीय वेब साईट www.rdprd.gov.in, सूचना एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से बैंक ड्राफ्ट वित्तीय सलाहकार, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)
ग्रामीण विकास विभाग,

निविदा प्रपत्र

अन्तिम तिथी : 12–07–2019
निविदा प्रपत्र शुल्क:–200/–

हस्ताक्षर
परियोजना अधिकारी एवं
आहरण वितरण अधिकारी

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

1. टोनर कार्टेज रिफलिग की दर संविदा के लिये निविदा(निविदा संख्या 1/2019–20)
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता व मोबाईल नम्बर.....
.....
.....
.....
3. किसको सम्बोधित किया गया– संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
4. संदर्भ क्रमांक : प0 24(02)ग्रावि/केभ/1996 दिनांक
5. निविदा शुल्क– 200/–रूपये नकद रसीद,संख्या एवं दिनांक
के द्वारा जमा करवा दी गई हैं ।
6. में संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 1/2019–20 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गई उक्त निविदा सूचना के अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लिखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।)
7 बोली प्रतिभूति राशि रूपये 4.000 का (संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकस विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम) बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक संख्या ..... जो ..... (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। चालान संख्या ..... दिनांक ..... बोली प्रतिभुति राशि के पेटे संलग्न किया जाता है।
8. निविदा में आमत्रित दरे अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगी। दरों को राज. लोक. उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के उपनियम–29 व 73 के अनुसार बढाई जा सकेगी ।
9 निविदा के साथ जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र के साथ 31.03.2019 तक का जी.एस.टी. रिटर्न एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
10. जिन सामान की कीमत पर जी.एस.टी. अलग से देय है उसका स्पष्ट उल्लेख दरो में किया जावे । जिस सामान की दरें जी.एस.टी. सहित है उसका स्पष्ट उल्लेख दरो के साथ किया जावें ।
11. (क)आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा एवँ स्पेसिफिकेशन संलग्न एनेक्सर– **I** के अनुसार है ।
(ख) सप्लाई की जाने वाली सामग्री की दरें एनेक्सर–**III** में अकिंत की गयी है।
12. कार्य आदेश दिये जाने पर तत्काल रिफलिगं कार्य फर्म द्वारा किया जावेगा।
13. एनेक्सर–"**III**" में दरें स्पष्टरूप से अंकित की जावे, कटिंग नही करे। अगर कोई कटिंग है तो पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें।
15 निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तो के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावे। सशर्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
16 एनेक्सर–**III** में मूल दर प्रति नग, जी.एस.टी. प्रति नग एवं कुल राशि प्रति नग को निर्धारित कॉलम में पृथक–पृथक स्पष्टरूप से दर्शाया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

17 सामान/वस्तु की कय राशि अनुमानित है । अनुबन्ध अवधि के दौरान कय सामग्री की कुल कय अनुमानित कीमत से कम/अधिक हो सकती है । जो कय राज. लोक. उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उपनियम 73 के अनुसार होगी ।

18 राज. लोक. उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के उपनियम–29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा कियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मो को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

19. विशेष परिस्थितियों में राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम–74 के अनुसार कार्य Fair, Transparent & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा ।

20. **बोली दस्तावेजों में परिवर्तन :–** बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामंस्वरूप, धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

1. निविदादाता का नाम
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (दुकान) ..... (घर) .....

जयपुर, दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

रिफलिग किये जाने वाले टोनर कार्टेज का विवरण

क्र.सं. (1)	वस्तु का नाम (मय विनिर्देशों) स्पेसफीकेशन (2)	मात्रा (3)	कॉलम सं.–2 में दिये गये स्पेसफीकेशन विशेष की आपूर्ति किये जाने पर स्पेसफीकेशन का उल्लेख किया जावें। (4)
1.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 78 ए	10 नग	
2.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 88 ए	5 नग	
3.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 36 ए	2 नग	
4.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 12 ए	10 नग	
5.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 53 ए	2 नग	
6.	एच.पी. कलर प्रिंटर लेजर जेट प्रो (MFPM 177FW)	4 नग	
7.	एच.पी. प्रिंटर लेजर जेट प्रो –80 ए	2 नग	
8.	क्योसेरा प्रिन्टर एफएस कार्टेज –1120	10 नग	
9.	Ricoh प्रिंटर कार्टेज एसपी 310 डीएन	40 नग	

शर्ते :–

1. उपरोक्त टोनर रिफलिंग हेतु दर्शायी गई मात्रा में कार्यालय में स्थापित सभी प्रिन्टर्स को सम्मलित किया गया है जिसे वर्षभर के दोरान समय– समय पर आवश्यकता अनुसार रिफिल करवाया जा सकेगा। उक्त मात्रा में कमी या वृद्धि संभव हैं।
2. टोनर रिफलिंग मय पार्टस करवाये जायेगें। कार्टेज का पार्टस (जैस ड्रम, पीसीआर, ब्लेड व मैगनेट रोड, चिप/सेन्सर) खराब होने पर नया लगाना होगा।
3. विभाग द्वारा सिर्फ सूची में अंकित नम्बरों के खाली टोनर उपलब्ध करवाये जायेगें।
4. टोनर रिफलिंग का आदेश प्राप्त होने पर तत्काल टोनर रिफलिंग करके देना होगा।
5. रिफलिंग के बाद अगर टोनर खराब मिलता है तो उस टोनर को पुनः रिफिल करके देना होगा।
6. सभी रिफलिंग टोनरों में निम्नांकित कम्पनी व मात्रा में इंक डालनी होगी। जिससे सूची में अधिक संख्या में प्रिन्ट निकलने चाहिये। जांच करने पर कम मात्रा में प्रिन्ट आने पर पुनः रिफिल करके देना होगा।

क्र. सं.	टोनर का मैक एवं मोडल	इंक	इंक की मात्रा	प्रिन्ट प्रतियॉ
1.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 78 ए	ITDL/Formujet/Staric Control	120 ग्राम	1000–1400
2.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 88 ए	ITDL/Formujet/Staric Control	80 ग्राम	800–1000
3.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 36 ए	ITDL/Formujet/Staric Control	280 ग्राम	1400–1500
4.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 12 ए	ITDL/ODC/Fine	120 ग्राम	1000–1400
5.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 53 ए	ITDL/Formujet/Staric Control	120 ग्राम	1000–1400
6.	एच.पी. कलर प्रिंटर लेजर जेट प्रो (MFPM 177FW)	ITDL/Formujet/Staric Control	120 ग्राम	1000–1400
7.	एच.पी. प्रिंटर लेजर जेट प्रो –80 ए	ITDL/Formujet/Staric Control	280 ग्राम	1400–1500
8.	क्योसेरा प्रिन्टर एफएस कार्टेज –1120	एफएस कार्टेज –1120 की इंक	120 ग्राम	600–650
9.	Ricoh प्रिंटर कार्टेज एसपी 310 डीएन	Richo/ODC	120 ग्राम	1000–1400

1. निविदादाता का नाम

2. डाक का पता

3. टेलीफोन नं. (दुकान) .....

(घर) .....

जयपुर, दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

CHECK LIST

Bidder is required to furnish the following information:

S. No	Particulars	Enclosed Yes/No	Details (DD/ Cash Receipt No., Date & Amount etc.)	Page No.	Remarks
1	Earnest money of Rs. 4000/- if yes, furnish details				
2	Bid documents (in original)				
3	Terms & Condition duly signed or not?				
4	Lists/ documents enclosed				
5	Firm/Company Registrations				
5	PAN No.				
6	Sevice Tax No./GST No				
7	Others specify				

Note: - Please fillup the PAN and Service Tax Number and GST No applicable information in the relevant columns.

Signature of Bidder

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी :– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएँ भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. वास्तविक डीलरो द्वारा निविदाएँ :– निविदाएँ मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी। अतः ये एस.आर. प्ररूप–11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वह इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं केता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
4. *जी.एस.टी. पंजीयन एवं जी.एस.टी. रिटर्न*– कोई भी डीलर यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। जी.एस.टी. पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा 31.03.2019 तक की जी एस टी रिटर्न प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनों एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ एवं /या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में जीएसटी की राशि को पृथक में दिखाना चाहिए।
7. दरें गन्तव्य स्थान पर एफ. ओ. आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु जीएसटी को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामलें में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाड़ें (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वालें माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए हैं, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।
8. मूल्यांकन में कीमत/कय अधिमानः– बोलियों के मूल्यांकन और संविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजों में यथा–वर्णित कीमत और/या कय अधिमान पर विचार किया जायेगा।
09. विधिमान्यता–निविदाये, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी। आपवादिपरिस्थितियों में आपसी सहमति से इस अवधि को बढाया जा सकेगा।
10. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तो, विनिर्देशों, आकार मेक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे केता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
12. विनिर्देश :– (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुएँ निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। प्रदाय की गई वस्तु नवीनतम पैकिंग की होनी चाहिये। यदि किसी वस्तु के साथ कम्पनी द्वारा कोई फी आईटम दिया जारहा है तो वह आईटम भी वस्तु के साथ देना होगा।

    (ii) तारा चिन्ह से अंकित / क्रम संख्या ..... पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों कें साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रियों के मामलें में, जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने न हों, वहाँ अत्युत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। केता अधिकारी / केता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएँ विनिर्देशों के अनुरूप हैं, तथा क्या वे नमूनों, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय अन्तिम एवं निविदादाताओं कें लिए बाध्यकारी होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(iii) वारंटी / गारंटी खण्डः–निविदादाता यह गारंटी देगा कि माल / सामान / वस्तुएँ खरीदे जाने वाले उक्त माल / सामान / वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से .....दिनों / माहों की अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवँ गुणवता के अनुरूप बनी रहेगी ,तथा इस तथ्य के बावजुत की कता ने उक्त माालों /सामानों /वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हैं एवं / या उन्हें अनुमोदित कर दिया है, यदि ..... दिनों / माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों / सामानों / वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (तथा उस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा), तो केता उक्त मालों / सामानों / वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया जाए, रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल / सामान / वस्तुएँ विकेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाय तो वह उस माल आदि को या उसके भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में केता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामलें में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लेखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारंटीकृत अवधि में पुर्जो। यदि कोई हो, को बदलेगा और किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में वैसा पाया जाए, ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सके। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को उस स्थिति में भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएँ कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हों।

(v) केता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामलें मे निविदादाता ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएँ, वार्षिक रख–रखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों का नियमित समुचित प्रदाय करने के लिए भी, चाहे वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन या अन्यथा उत्तरदायी होगा। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह केता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा जो अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीद सकेगा।

13. निरीक्षणः– (क) केता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रकिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों / उपकरणों / मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति होगी

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहॉ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति का नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामलें में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए है, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

14. नमूने निकालनाः– परीक्षणों के मामलों में निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमे से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं / या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

15. परीक्षण प्रभार :– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

16. रद्द करना :–

(i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें केता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, उन वस्तुओं को पूर्ण या आंशिक रूप में बदलना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो केता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

17. निविदादाता उचित पैंकिग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई नुकसान न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच / निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत अनुज्ञेय नहीं होगी।

18. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय केता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद केता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

19. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (disqualification) होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

20.(i) सुपुर्दगी अवधि :– निविदादाता, जिसकी निविदा स्वीकार की जाए..... द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से दिवस की अवधि के भीतर निम्न प्रकार सामान का प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा:–

कम सख्या	मद	मात्रा	सूपूर्दगी अवधि	आदेशानुसार

(ii) आर.टी.पी.पी. नियम–2013 के नियम–29 व 73 के अनुसार अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणें के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपंबधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे

(iii) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

21. <u>बोली प्रतिभूति:–</u> 1. बोली प्रतिभूति दस हज़ार रूपये तक के मूल्य वाले छोटे उपापन और धारा 30 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन सिमित बोली, कोटेशन के लिए अनुरोध मौके पर कय एकल स्रोत उपापन और प्रतियोगी बातचीत की पद्वतियों द्वारा उपापन के मामले में नहीं ली जायेगी।

2. खुली प्रतियोगी बोली, द्वि–प्रकमी बोली, दर संविदा, इलेक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के मामले में बोली प्रतिभूती बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा मे यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्र का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्यौगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। उपापन प्रकिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली लगाने वाले से यदि छूटप्राप्त नहीं हो तो बोली आमंत्रित करने वाली सूचना में यथा विनिर्दिष्ट बोली प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायेगी।

3. बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपकमों, निगमों स्वायत निकायों रजिस्ट्रीकृत सोसाटियों सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान के सरकारी उपकम और कम्पनियों से ली जायेगी।

4. बोली प्रतिभूति लिखत या बोली प्रतिभूति की नकद रसीद या बोली प्रतिभूत करने की घोषणा आवश्यक रूप से मुहरबंद बोली के साथ होगी।

5. उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतिक्षित विनिश्चय के संबंध रखी हुई बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

6. बोली प्रतिभूति नकद बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई.जी.आर.ए.एस के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति की मूल बढायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

7. बोली दस्तावेजों में यह नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति का निर्गामी और बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो, के साथ ही बोली प्रतिभूति की पुष्टि करने वाला, यदि कोई हो के साथ ही बोली प्रतिभूति का प्ररूप और निबंधन उपापन संस्था को स्वीकार्य होना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की दशा में बोली दस्तावेजों में यह भी नियत किया जा सकेगा कि बोली प्रतिभूति भारत में किसी निर्गामी द्वारा जारी की जायेगी।

8. यह अपेक्षित हो तो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व बोली लगाने वाला बोली प्रतिभूति के प्रस्थापित निर्गामी या प्रस्थापित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता को पुष्ट करने के लिए उपापन संस्था से अनुरोध कर सकेगा। उपापन संस्था ऐसे किसी अनुरोध का तत्परता से प्रत्युत्तर देगी।

9. बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारन्टी की संबंधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि करायी जायेगी। तथापि प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को स्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या यथास्थिति पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया या अन्यथा उधार के लिए पात्र नहीं रह गया है।

10. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति करने के शीघ्र पश्चात कर दिया जायेगा।

11. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात :–
(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत या उपन्तरित करता है:
(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के प्श्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है:
(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

12. सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

13. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी अर्थात
(क) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर
(ख) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर
(ग) उपापन प्रकिया के रद्दकरण पर, या
(घ) बोली प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम समय–सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।

22. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति.**– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपकमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध मे हों और केन्द्रीय सरकार के उपकमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामल में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये, होगी और संकर्मो के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समक्ष लम्बित है के मामले में यह प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी।
(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :–
(क) "ई. जी. ए. एस. के माध्यम से जमा
(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंक चैक
(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समयवे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेंगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्ते बोली प्रतिभूति के लिए नियम42 में वर्णित के समान होंगी।
(ड) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर) यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बौली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करके के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की और से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्ण संदाय करने का वचन देता है कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज साथ समपहृत कर ली जायेगी।
(च) "संकमों के उपापन के मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार पर हस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के दस प्रतिशत की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।"
(4) उप–नियम (3) के खण्ड (ख) से (ड) के प्ररूप विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पुरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

23. **करार का निष्पादन.**– (1) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृत पत्र या आशय पत्र प्रषित किया जाता है उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।
(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने मे विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधो के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मालों में उपापन प्रकिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधि लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
(4) बोली लगाने वाले को, उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

24. बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश क्रमांक : प1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./4007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देयनहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

25. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हों।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

26. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क दी जाएगी।

27. (i) समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रांस्पोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जाएगा। यदि माल भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता के बिल में से उस भाड़े के 5% की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर आर केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि केता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल भाड़ा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेक्षण प्रभार (Remittance charges)निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

28. बीमाः–(i)सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाशन या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे–युद्ध विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हॅानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जातें हैं तो राज्य में इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

29. भुगतान :–

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ठ मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल / प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांस्पोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर किया जाएगा। अतिशेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और निविदादाता को नहीं दिए गए उस आशय के प्रमाण–पत्र पर दिए जाने पर दिया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में,राशि का 10 से 25% तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों ।

30. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानीः– परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं :– (इस संबध में यदि कोई हो तो नीविदा प्रपत्र में अकिंत की गई शर्ते ही लागु होगी।)

(1	(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2½%
	(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
	(ग)	आधी अवधी से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7½%
	(घ)	विहित अवधी की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(3) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(5) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

31. वसूलियॉ :– परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट–फूट, रदद् किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्त या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

32. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

33. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद् कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हों।

34. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद् करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म / प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को विपरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा

35. निविदादाता करार को निष्पादित करते निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा :–

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

36. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा , जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उपअधिकारी की नियुक्ती करेगा । ये उस अधिकारी इस संविदा से सबद्व नही होगा , तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

37. समस्त विधिक कार्यवाहियॉ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

38. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान लागू होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नोटः– अलग से लिफाफे में जिस पर वित्तीय निविदा अंकित हो प्रस्तुत किया जावे

वित्तीय निविदा (केवल दरें अंकित की जावे)

दर संविदा की रिफलिंग किये जाने वाले टोनर का विवरण

क्र.स. (1)	वस्तु का नाम(मय विर्निदेशो) स्पेस्फीकेशन – (2)	मूल दर प्रति नग–(3)	जी.एस.टी. (4)	कुल मूल्य प्रति नग– (5)
1.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 78 ए			
2.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 88 ए			
3.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 36 ए			
4.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 12 ए			
5.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 53 ए			
6.	एच.पी. कलर प्रिंटर लेजर जेट प्रो (MFPM 177FW)			
7.	एच.पी. प्रिंटर लेजर जेट प्रो –80 ए			
8.	क्योसेरा प्रिन्टर एफएस कार्टेज –1120			
9.	Ricoh प्रिंटर कार्टेज एसपी 310 डीएन			

नोट–1.मूल दर में वस्तु के मूल्य मेंजीएसटी के अतिरिक्त सभी खर्चे शामिल की जाये।(जी.एस.टी. को अलग से दर्शाये)

2. व्यवसायी द्वारा राजकीय विभाग को माल सप्लाई करते समय बिल वित्त(जीएफएण्डआर)विभाग के परिपत्र कमांक प.1(1)वित्त/जीएफएण्डएआर/07 दि. 21–04–2010 एवं राज्य लोक उपापन नियम–2013 व अधिनियम–2012 के अनुसार तैयार कर तीन प्रतियो में प्रस्तुत किया जावेगा ।

3. एल वन का निर्धारण आइटम वाइज न्यूनतम दर के आधार पर किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

1. निविदादाता का नाम
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (दुकान)
   (घर)

जयपुर,
दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांकः प. 24(02) ग्रावि/केभ/स्टोर/1996 जयपुर, दिनाँक 04 JUL 2019
:–

निविदा सूचना

शासन सचिवालय के उपयोग के लिए टोनर कार्टेज रिफलिग की दर संविदा किये जाने हेतु मोहरबन्द लिफाफे में निविदाऐं दिनांक 12.07.2019 को अपरान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय के उपयोग हेतु टोनर कार्टेज रिफलिग की दर संविदा किये जाने हेतु। (विवरण परिशिष्ठ–"ई")	2,00,000	4,000	200.00

निविदा की शर्तें :–

1. बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्ते सम्बन्धी दस्तावेज निर्धारित निविदा शुल्क नकद, संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को 12.00 बजे तक जमा करवा कर दिनांक 12.07.2019 तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है या विभागीय वेब साईट www.rdprd.gov.in, सूचना एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा पृथक से ड्राफ्ट संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा सीलबन्द लिफाफे में, जिसके उपर संबधित निविदा का विवरण अंकित हो, संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 12.07.2019 को अपरान्ह 12.00 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन 4.00 बजे उपस्थित निविदाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) विभाग के कक्ष में खोली जावेगी।
4. निविदा के साथ में जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र के साथ 31.03.2019 तक की जी एस टी रिटर्न की प्रति तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. सरकार न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्व कर सकेगी।
7. कुटिर तथा लधु उधोग इकाईयों के लिए:–

   (i) निविदा प्रपत्र शुल्क निर्धारित राशि के 50 प्रतिशत कीमत पर दिया जावेगा।

   (ii) बोली प्रतिभूति राजस्थान के लधु उधोगो की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा की 0.5 प्रतिशत होगी और लधु उधोगो से भिन्न रूग्ण उधोगो की दशा में जिनके मामले औधेगिकी एवं वित्त पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मुल्य का 1 प्रतिशत होगी।

   (iii) बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट के लिये आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर के पास रजिस्ट्रीकृत कुटीर एवं लधु उद्योग विभाग उन मदों के सम्बन्ध में जिसके लिये वें इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, सामान का क्रय (राजस्थान के उद्योग के अधिमान) नियम 1995 के नियम–8 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही जो वित्त (जीएफ एण्ड एआर) विभाग के आदेश कमांक : प1(1)वित्त/सा.नि.लेनि./4007 दिनांक 19.10.2010 परिपत्र संख्या 24/2010 में वर्णित है के अनुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट देयनहीं होगी।
8. बोली प्रतिभूति के स्थान पर, बोली प्रतिभूति धोषणा राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से ली जायेगी।
9. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे। इसके साथ ही राज्य में दि. 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 प्रभावशील है। जो उक्त निविदा पर प्रभावशील होगे।

संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)
ग्रामीण विकास विभाग